25/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.।
पार परीक्षण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय
अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री
जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2019/00290

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 18:11:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 113/2019 दायर दिनांक :– 02–09–2019

GCMS:- 2019/00290

1– बन्ताराम उर्फ बलवन्तराम पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2– सुभाष
3– सुखराम
4– फरसाराम
} पिसरान श्री बलवन्तराम अकवाम जाट साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादीगण

बनाम

1– इन्द्राज सिंह पुत्र स्व0 औमसिंह
2– राजपालसिह पुत्र स्व0 श्री औमसिंह
3– कौशल्या पत्नी स्व0 श्री औमसिंह
} अकवाम राजपूत साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

4– रेवन्तसिंह
5– मोहनसिंह
6– कल्याणसिंह
7– श्योदानसिंह
8– विशालसिह
9– बेगसिंह
} पिसरान श्री रूपसिंह अकवाम राजपूत साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

10– उगम कंवर पत्नी श्री सुरजनसिंह जाति राजपूत साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ

11– रामसिंह
12– महावीरसिंह
13– चतरसिंह
14– तेजपालसिंह
15– बालसिंह
} पिसरान श्री सुरजनसिंह अकवाम राजपूत साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

16–चन्द्रावल पुत्री श्री सुरजनसिंह पत्नी नत्थूसिंह
17–मोहनी पुत्री श्री सुरजनसिंह पत्नी श्री रामकुमार
} अकवाम राजपूत साकिन रामदेव मन्दिर के पास सूरतगढ तहसील सूरतगढ

18– सरस्वती पुत्री श्री सुरजनसिंह पत्नी श्री कालूसिंह जाति राजपूत साकिन धिगतानीया तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0

19– प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा सूरतगढ

20–प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सूरतगढ वर्तमान इण्डियन बैंक शाखा सूरतगढ ।

21–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

———— प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– अजय अरोड़ा वादी नं0 1
2– राजवीर भादू अभिभाषक वादी सं0 2 ता 4
3– सुरेन्द्र सुथार अभिभाषक प्रतिवादी न0 1
4– ओम सिंह अभिभाषक प्रतिवदी सं0 19
5– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 18:11:16 IST
Reason: SelfAttested

—:— निर्णय —:— दिनांक :— 24.12.2024

आज पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित ... सुनी गई। वाद–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त ... डब्ल्यू तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 74 के खाता सं0 46 के ... 92/41 के किला न0 21–22/0.506 है0, प0 न0 92/33 के किला न0 21 ता 25/1.265 है0 ... न0 92/25 के किला न0 25/0.253 है0, प0 न0 92/26 के किला न0 2 ता 9 /2.024 है0 , 13 ता 18/1.518 है0, 24/2 में 0.228 है0 ,

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

25/1 में 0.228 है0 = 3.998 है0, प0 न0 92/34 के किला न0 1 ता 15/3.795है0 , 19–20/0.506 है0 = 4.301 है0 कमाण्ड , प0 न0 92/42 के किला न0 1–2/0.506 है0 , 9 ता 11/0.759 है0 = 1.265 है0, प0न0 92/27 के किला न0 4/0.253है0 , कुल 11.841 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। इसमे वादी के नाम 6.3376 है0 खातेदारी दर्ज है शेष भूमि प्रतिवादी सं0 4 से 18 के नाम व प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पिता/पति ओमसिंह के नाम दर्ज है। औमसिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवदी सं0 1 से 3 मृतक औमसिंह के वारिस है। उक्त जैरवाद भूमि संयुक्त खाते की है लेकिन वादीगण भूमि क्रय की दिनांक से चकबंदी से पूर्व ही कुल भूमि के पूर्व की तरफ के भाग में 25–01बीघा यानि 6.337 है0 भूमि पर काबिज है। वादीगण का कब्जा कास्त में भूमि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 74 के खाता सं0 46 के प0 न0 92/41 के किला न0 21–22/0.506 है0, प0न0 92/42 के किला न0 1–2–9 ता 11/1.265 है0 , प0 न0 92/33 के किला न0 22 ता 25/1.012 है0 , प0 न0 92/34 के किला न0 2 ता 9/2.024 है0 , 11/0.012 है0 , 12 ता 15/1.012 है0 , 19–20/0.506 है0 कुल 6.337 है0 खातेदारी भूमि है। जैरवाद भूमि में वादीगण अपने कब्जा कास्त भूमि को कड़ी मेहनत से एवं काफी रूपये लगाकर भूमि सुधार करके अधिक उपजाऊ एवं अच्छी किस्म का बना लिया है । जैरवाद भूमि संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज – खाद उर्वरक आदि नही मिल पाते है तथा सरकार समय–2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी जैरवाद भूमि का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । जिसमें प्रतिवादी न0 1 की तरफ से अभिभाषक सुरेन्द्र सुथार, प्रतिवादी सं0 19 की तरफ से अभिभाषक ओमसिंह उपस्थित हुये । वादी न0 2 ता 4 की तरफ से अभिभाषक राजवीर भादू के द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वादी न0 1 के द्वारा वादी न0 2 ता 4 के पक्ष में जैरवाद भूमि का दान–पत्र पंजिकृत करवाया गया जिसका इन्तकाल राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गया । इसलिए वादीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादी सं0 2 ता 4 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया । अन्य प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन भिजवाये गये इसके बावजूद भी प्रतिवादी सं0 2 ता 18 एव 20 उपस्थित नही हुये जिन्हे विधिवत तरीके से समयक तामिल हाजिर नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 18–10–2019 से हाजिर आने के पश्चात जबाब दावा प्रस्तुत नही करने के कारण 28–10–2022 को बन्द कर दिया गया। दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई। तथा वादी सं0 3 के द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जिरह की गई। प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार के कोई भी साक्ष्य नही करवाये गये ।

1–आया कि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू जमाबन्दी संवत 2071 ता 2074 के खाता सं0 46 में 11.841 है0 कमाण्ड , अ0क0 मय खाला खातेदार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है ?

---- वादीगण

2–आया कि वादीगण के संयुक्त खाते की भूमि में कब्जा काश्त चक 1 बी जे डब्ल्यू क पं0 न0 92/41 के किला न0 21–22, प0 न0 92/42 के किला न0 1–2–9 ता 11, प0 न0 92/33 के किला न0 22 ता 25/1.012है0 , प0न0 92/34 के किला न0 2 ता 9/2.024 है0 ,11/0.012 है0 , 12 ता 15/1.012 है0 ,19–20/0.506 है0 कुल तादादी 6.337 हे0 कमाण्ड , अ0क0 मय खाला खातेदार भूमि का खाता विभाजन किया जावे ?

---- वादीगण

3– अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारों से साक्ष्य ली गई। साक्ष्य वादी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये तथा प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य नही करवाई गई।

इसके पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अंतिम बहस सुनी गई । जिसमें वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये बहस किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 74 के खाता सं0 46 के प0 न0 92/41 के किला न0 21–22/0.506 है0, प0 न0 92/33 के किला न0 21

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 18:11:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

ता 25/1.265 है0 , प0 न0 92/25 के किला न0 25/0.253 है0, प0 न0 92/26 के किला न0 2 ता 9 /2.024 है0 , 13 ता 18/1.518 है0, 24/2 में 0.228 है0 , 25/1 में 0.228 है0 = 3.998 है0, प0 न0 92/34 के किला न0 1 ता 15/3.795है0 , 19–20/0.506 है0 = 4.301 है0 कमाण्ड , प0 न0 92/42 के किला न0 1–2/0.506 है0 , 9 ता 11/0.759 है0 = 1.265 है0, प0न0 92/27 के किला न0 4/0.253है0 , कुल 11.841 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। इसमे वादी के नाम 6.3376 है0 खातेदारी दर्ज है शेष भूमि प्रतिवादी सं0 4 से 18 के नाम व प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पिता/पति ओमसिंह के नाम दर्ज है। औमसिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवदी सं0 1 से 3 मृतक औमसिंह के वारिस है। उक्त जैरवाद भूमि संयुक्त खाते की है लेकिन वादीगण भूमि कय की दिनांक से चकबंदी से पूर्व ही कुल भूमि के पूर्व की तरफ के भाग में 25–01बीघा यानि 6.337 है0 भूमि पर काबिज है। वादीगण का कब्जा कास्त में भूमि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 74 के खाता सं0 46 के प0 न0 92/41 के किला न0 21–22/0.506 है0, प0न0 92/42 के किला न0 1–2–9 ता 11/1.265 है0 , प0 न0 92/33 के किला न0 22 ता 25/1.012 है0 , प0 न0 92/34 के किला न0 2 ता 9/2.024 है0 , 11/0.012 है0 , 12 ता 15/1.012 है0 , 19–20/0.506 है0 कुल 6.337 है0 खातेदारी भूमि है। उक्त जेरवाद रकबा वादी सं0 2 ता 4 को जरिये दान–पत्र द्वारा प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड दर्ज हुआ है । जिसके मुताबिक चक 1 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता सं0 52/46 के प0 न0 92/25 के किला न0 25/0.253 है0, प0 न0 92/26 के किला न0 2, 3/1, 3/2, 4 ता 7, 8/1, 8/2, 9,13/1, 13/2 , 14–15, 16/1, 16/2 , 17/1, 17/2, 18 , 24/2, 25/1, 25/3 = 3.998 है0 कमाण्ड/ अ0क0 मय खाला, प0न0 92/27 के किला न0 4/0.253है0 , प0 न0 92/33 के किला न0 21 ता 25/1.265 है0 , प0 न0 92/34 के किला न0 1 ता 15/3.795है0 , 19–20/0.506 है0 = 4.301 है0 कमाण्ड , प0 न0 92/41 के किला न0 21–22/0.506 है0, प0 न0 92/42 के किला न0 1–2/0.506 है0 , 9 ता 11/0.759 है0 = 1.265 है0 कुल 11.841 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में वादी न0 2 का 1265/11841 हिस्सा , वादी न0 3 का 1269/3947 हिस्सा एवं वादी सं0 4 का 1265/11841हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है । जैरवाद भूमि पर वादीगण अपने कब्जा कास्त भूमि को कड़ी मेहनत से एवं काफी रूपये लगाकर भूमि सुधार करके अधिक उपजाऊ एवं अच्छी किस्म का बना लिया है । जैरवाद भूमि संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज – खाद उर्वरक आदि नही मिल पाते है तथा सरकार समय–2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादीगण के द्वारा घरेलू बंटवारा के मुताबिक किलाजात का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा संयुक्त खाता की भूमि का घरेलू नही होना बताया गया । उक्त भूमि संयुक्त खाता की है । रकबा कमाण्ड/ अनकमाण्ड है । तथा उक्त जैरवाद रकबा का अन्य विवाद भी चल रहा है इसलिए खाता विभाजन न किये जाने का निवेदन किया ।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया । विस्तुत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :–

1–आया कि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू जमाबन्दी संवत 2071 ता 2074 के खाता सं0 46 में 11.841 है0 कमाण्ड , अ0क0 मय खाला खातेदार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । वादीगण द्वारा संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता सं0 46/40 तथा जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता सं0 52/46 [illegible] जो प्रदर्श सं0 एक व दो है । जिससे यह सिद्ध होता है वादीगण संयुक्त हिस्से का काश्तकार है । त[illegible] बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 18:11:16 IST
Reason: SelfAttested

2–आया कि वादीगण के संयुक्त खाते की [illegible] प0 न0 92/41 के किला न0 21–22, प0 न0 92/42 के किला न0 1–2–9 [illegible] 92/33 के किला न0 22 ता 25/1.012है0 , प0न0 92/34 के किला न0 2 ता 9/2.024 है0 ,11/0.012 है0 , 12 ता 15/1.012 है0 ,19–20/0.506 है0 कुल तादादी 6.337 हे0 कमाण्ड/ अ0क0 मय खाला खातेदार भूमि का खाता विभाजन किया जावे ?

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । वादीगण द्वारा वाद-पत्र में संयुक्त खाते की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई। तथा स्वयं के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा तथा साक्ष्य नही करवाये गये न ही ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्ध हो सके की वादीगण के कथन गलत दर्शित किये गये है। इसलिए तनकी न0 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है ।

बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा बताये गये घरेलू बंटवारा के मुताबिक किलाजात का प्रतिवादीगण द्वारा के द्वारा कोई भी जबाब दावा व साक्ष्य से आपत्ति प्रस्तुत नही की गई । इसलिए चक 1 बी जे डब्ल्यू क पं0 न0 92/41 के किला न0 21-22, प0 न0 92/42 के किला न0 1-2-9 ता 11, प0 न0 92/33 के किला न0 22 ता 25/1.012है0 , प0न0 92/34 के किला न0 2 ता 9/2.024 है0 , 11/0.012 है0 (पूर्वी पासा), 12 ता 15/1.012 है0 ,19-20/0.506 है0 कुल तादादी 6.337 है0 कमाण्ड , अ0क0 मय खाला खातेदार भूमि का खाता विभाजन किया जाना उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता सं0 52/46 की कुल 11.841 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में वादी न0 2 का 1265/11841 हिस्सा , वादी न0 3 का 1269/3947 हिस्सा एवं वादी सं0 4 का 1265/11841हिस्सा कुल 6.337 है0 भूमि का खाता विभाजन वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू के प0 न0 92/41 के किला न0 21-22/0.506 है0, प0 न0 92/42 के किला न0 1-2-9 ता 11/1.265 है0, प0 न0 92/33 के किला न0 22 ता 25/1.012है0 , प0न0 92/34 के किला न0 2 ता 9/2.024 है0 ,11/0.012 है0 (पूर्वी पासा), 12 ता 15/1.012 है0 ,19-20/0.506 है0 कुल तादादी 6.337 है0 कमाण्ड खातेदार भूमि का खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तथा इसी अनुसार आदेश दिये जाने की डिक्री जारी हो। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 18:11:16 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

1– बन्ताराम उर्फ बलवन्तराम पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ
2– सुभाष
3– सुखराम
4– फरसाराम
} पिसरान श्री बलवन्तराम अकवाम जाट साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादीगण

बनाम

1– इन्द्राज सिंह पुत्र स्व0 औमसिंह
2– राजपालसिह पुत्र स्व0 श्री औमसिंह
3– कौशल्या पत्नी स्व0 श्री औमसिंह
} अकवाम राजपूत साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

4– रेवन्तसिंह
5– मोहनसिंह
6– कल्याणसिंह
7– श्योदानसिंह
8– विशालसिह
9– बेगसिंह
} पिसरान श्री रूपसिंह अकवाम राजपूत साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

10– उगम कंवर पत्नी श्री सुरजनसिंह जाति राजपूत साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ

11– रामसिंह
12– महावीरसिंह
13– चतरसिंह
14– तेजपालसिंह
15– बालसिंह
} पिसरान श्री सुरजनसिंह अकवाम राजपूत साकिनान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

16–चन्द्रावल पुत्री श्री सुरजनसिंह पत्नी नत्थूसिंह
17–मोहनी पुत्री श्री सुरजनसिंह पत्नी श्री रामकुमार
} अकवाम राजपूत साकिन रामदेव मन्दिर के पास सूरतगढ तहसील सूरतगढ

18–सरस्वती पुत्री श्री सुरजनसिंह पत्नी श्री कालूसिंह जाति राजपूत साकिन धिगतानीया तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0
19– प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा सूरतगढ
20–प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सूरतगढ वर्तमान इण्डियन बैंक शाखा सूरतगढ ।
21–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

———— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, व 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 113 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण अजय अरोड़ा, राजवीर भादू एवं प्रतिवादी न0 1 अभिभाषक सुरेन्द्र सुथार एवं प्रतिवादी सं0 19 के अभिभाषक ओमसिंह व राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादीगण स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :

चक 1 बी जे डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता सं0 52/46 की कुल 11.841 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में वादी न0 2 का 1265/11841 हिस्सा , वादी न0 3 का 1269/3947 हिस्सा एवं वादी सं0 4 का 1265/11841हिस्सा कुल 6.337 है0 भूमि का खाता विभाजन वाके चक 1 बी जे डब्ल्यू के प0 न0 92/41 के किला न0 21–22/0.506 है0, प0 न0 92/42 के किला न0 1–2–9 ता 11/1.265 है0, प0 न0 92/33 के किला न0 22 ता 25/1.012है0 , प0न0 92/34 के किला न0 2 ता 9/2.024 है0 ,11/0.012 है0 (पूर्वी पासा), 12 ता 15/1.012 है0 ,19–20/0.506 है0 कुल तादादी 6.337 है0 कमाण्ड खातेदार भूमि का खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है।

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत ...×... खर्चा इस मुकदमा मय सूद बशरह ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से ता वसूली ... को अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2.12.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 18:11:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ